उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।

(91)

(जिला योजना)

अल्पकालीन कोटेशन/पसंद की अभिव्यक्ति (Expression of interest) आमंत्रण सूचना

अभिनव झारखण्ड (Innovative Jharkhand) अंतर्गत गुमला जिला के मुख्यमंत्री अभिनव पायलट योजना के तहत् मो0 37.90 लाख रू0 की ''महिला सशक्तिकरण एवं सौर्य ऊर्जा द्वारा विद्युतीकरण (लक्षित परिवार 100)'' की स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अनुभवी संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संगठनों/सौर्य ऊर्जा के उपकरण उत्पादकों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों से दिनांक 25.02.2019 के पूर्वा0 12.00 बजे तक शीलबंद कोटेशन/पसंद की अभिव्यक्ति (Expression of interest) निम्नांकित शर्तो के साथ जिला योजना कार्यालय, गुमला में आमंत्रित की जाती है :–

1. निर्धारित तिथि एवं समयोपरान्त प्राप्त या खुली कोटेशन/पसंद की अभिव्यक्ति (Expression of interest) विचारणीय नहीं होगी।
2. कोटेशन/पसंद की अभिव्यक्ति (Expression of interest) के प्रस्तावकों के द्वारा दिनांक 25.02.2019 के अप0 01.00 बजे जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपने प्रस्तावों के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण देना होगा जिसके पश्चात् समिति द्वारा प्राप्त कोटेशन/पसंद की अभिव्यक्ति (Expression of interest) पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
3. सफल कोटेशन/पसंद की अभिव्यक्ति (Expression of interest) दाता को कार्यारम्भ से पूर्व जिला के साथ MOU करना तथा MOU के शर्त्तों के अनुरूप परियोजना क्रियान्वयन अनिवार्य होगा।
4. कोटेशन/पसंद की अभिव्यक्ति के प्रस्तावकों को सौर्य आधारित सम्पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य करने का विगत् 10 वर्षो का कार्यानुभव होना चाहिए, जिसकी प्रमाणिक सूचना प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।
5. राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत् सौर्य आधारित ग्रामीण विद्युतीकरण वाले एवं अंतराष्ट्रीय कार्यानुभवों वाले प्रस्तावकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. परियोजना का क्रियान्वयन जिले के नियमित विद्युतीकरण से अनाच्छादित दुर्गम क्षेत्र के दो ग्रामों/टोलों में कराया जायेगा।
7. सौर्य ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षणार्थ मानक संस्थान/प्रशिक्षकों से समबद्धता की विवरणी अनिवार्य होगी।
8. सशर्त्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना कारण बताये सभी कोटेशन/पसंद की अभिव्यक्ति (Expression of interest) या किसी कोटेशन/पसंद की अभिव्यक्ति (Expression of interest) विशेष को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी अथवा गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
9. गठित समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा तथा उक्त निर्णय पर किसी प्रकार का वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

ह0/- 7/2/19

उपायुक्त,
गुमला।